न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 20/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, सिरोही, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र छोगाराम जाति घांची निवासी पाडीव जिला सिरोही हाल संचालक मैसर्स रमेश टी सेन्टर ग्राम पाड़ीव कबूतर चौक जिला सिरोही।
2. श्री रमेश कुमार पुत्र छोगाराम जाति घांची निवासी पाडीव जिला सिरोही प्रो. मै. रमेश टी सेन्टर ग्राम पाड़ीव जिला सिरोही।
3. गीतादेवी पत्नि श्री पन्नालाल रावल निवासी पाडीव जिला सिरोही
4. नारायणलाल पुत्र श्री छोगाराम घांची निवासी पाडीव जिला सिरोही
5. छोगाराम पुत्र बदाराम घांची निवासी पाडीव जिला सिरोही
6. झुंझारसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी पाडीव जिला सिरोही
7. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री झुंझारसिंह राजपूत निवासी पाडीव जिला सिरोही
8. लक्ष्मण पुत्र श्री थानाराम रावल निवासी पाडीव जिला सिरोही
9. शांतिदेवी पत्नि श्री हजारीमल हिरागर निवासी पाडीव जिला सिरोही
10. गिरधारीलाल पुत्र श्री प्रताप छीपा निवासी पाडीव जिला सिरोही
11. ओटाराम पुत्र श्री पुनमाजी सुथार निवासी पाडीव जिला सिरोही
12. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल सेन निवासी पाडीव जिला सिरोही
13. सुन्दरदेवी पत्नि श्री जयंतिलाल हिरागर निवासी पाडीव जिला सिरोही
14. कमलसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह राजपूत निवासी पाडीव जिला सिरोही
15. कैलाश कुमार पुत्र श्री समरथमल रावल निवासी पाडीव जिला सिरोही
16. छोगाराम पुत्र श्री मनाराम घांची निवासी पाडीव जिला सिरोही
17. भैरूशंकर पुत्र श्री छगनलाल रावल निवासी पाडीव जिला सिरोही
18. नारायणलाल पुत्र श्री छगनजी ब्राहमण निवासी पाडीव जिला सिरोही

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री कमल कुमार पंवार, प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही।
2. श्री हरिओम दत्ता अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

:: निर्णय ::

दिनांक 09.12.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, सिरोही द्वारा श्री कमल कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही को जरिये पत्र क्रमांक 166 दिनांक 05.02.2019 को सूचना दी कि ग्राम पा[illegible] बस स्टेण्ड़ के समीप रमेश कुमार घांची की चाय की दुकान पर अवैध रू[illegible] घरे[illegible] सिलेण्डरों का दुरूपयोग चाय की दुकान पर किया जा रहा है। मौके प[illegible] कर जांच की गई । दौराने जांच अप्रार्थी संख्या–1 मौके [illegible] 20 घरेलू व 2 क[illegible] गैस सिलेण्डर भरे हुये पाये [illegible] जिनमें से 20 [illegible]ण्डर हिन्दुस्तान पेट्रोलि[illegible] (एच.पी.) कम्पनी एवं 2 सिलेण्ड़र अप्रमाणित 5 किग्रा. एवं 14 किग्रा. के है, जिन्हें कब्जे सरकार लेकर मौके पर मैसर्स सांई एच.पी. गैस सर्विस जावाल जिला सिरोही के प्रतिनिधि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:42:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सुपुर्दगीनामे पर दिए गये। सिलेण्डरों का अवैध भंडारण कर गलत उपयोग करने से उक्त गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता द्वारा वकालतनामा एवं जवाब पेश कर उपस्थिति दी गई एवं 1. श्री रमेश कुमार पुत्र छोगाराम 2. गीतादेवी पत्नि श्री पन्नालाल 3. नारायणलाल पुत्र श्री छोगाराम 4. छोगाराम पुत्र बदाराम 5. झुंझारसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह 6. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री झुंझारसिंह 7. लक्ष्मण पुत्र श्री थानाराम 8. शांतिदेवी पत्नि श्री हजारीमल 9. गिरधारीलाल पुत्र श्री प्रताप 10. ओटाराम पुत्र श्री पुनमाजी 11. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल 12. सुन्दरदेवी पत्नि श्री जयंतिलाल 13. कमलसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह 14. कैलाश कुमार पुत्र श्री समरथमल 15. छोगाराम पुत्र श्री मनाराम 16. भैरूशंकर पुत्र श्री छगनलाल 17. नारायणलाल पुत्र श्री छगनजी सभी निवासियान पाड़ीव द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेन्डर के समय उपभोक्तागण अपने–अपने काम धन्धे हेतु खेतों एवं अन्य रोजगार जैसे कमठा मजदूरी कृषि कार्य आदि हेतु बाहर गये हुए थे। इस कारण गैस सिलेण्ड़र के साथ डायरी रखी हुई नहीं थी। काम–धन्धे से घर आने पर शाम को मालूम हुआ कि आज गैस सिलेण्ड़र की गाड़ी नहीं आई हुई है। प्रार्थी द्वारा हमारे सिलेण्ड़र कब्जे सरकार लिये जाकर प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र गैस सिलेण्ड़र को वापस देने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिनके साथ में गैस डायरी की फोटो प्रतिलिपि एवं नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित कुल 17 शपथ पत्र एवं 18 गैस डायरियों की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेन्डर उनके मालकी के थे, जिन्हे गलत रूप से कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थीगण को खाना बनाने हेतु तकलीफ हो रही है । अतः उक्त गैस सिलेन्डर उनके मालकी के होने से उन्हें सुपुर्द करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थी की ओर से श्री कमल कुमार पंवार, प्रवर्तन अधिकारी एवं अप्रार्थीगण व गैस उपभोक्ताओ के अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्ड़ारण गलत रूप से किया जा रहा था। 18 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्ड़र एवं 2 अप्रमाणित गैस सिलेण्ड़र का अवैध भंडारण किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जावे ।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये कुल 22 सिलेण्डरों मे से 20 सिलेण्ड़र अप्रार्थीगण के निजी मालकी के है। जिनकी डायरियां प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। उपभोक्ता 1. श्री रमेश कुमार पुत्र छोगाराम 2. गीतादेवी पत्नि श्री पन्नालाल 3. नारायणलाल पुत्र श्री छोगाराम 4. छोगाराम पुत्र बदाराम 5. झुंझारसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह 6. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री झुंझारसिंह 7. लक्ष्मण पुत्र श्री थानाराम 8. शांतिदेवी पत्नि श्री हजारीमल 9. गिरधारीलाल पुत्र श्री प्रताप 10. ओटाराम पुत्र श्री पुनमाजी 11. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल 12. सुन्दरदेवी पत्नि श्री जयंतिलाल 13. कमलसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह 14. कैलाश कुमार पुत्र श्री समरथमल 15. छोगाराम पुत्र श्री मनाराम 16. भैरूशंकर पुत्र श्री छगनलाल 17. नारायणलाल पुत्र श्री छगनजी सभी निवासियान पाड़ीव द्वारा अपनी–अपनी डायरिया एवं खाली गैस सिलेण्डर देकर पुनः भरे हुये

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:42:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सिलेण्डर गैस कम्पनी से लेने हेतु दिये थे। उक्त दिनांक को गैस कम्पनी की गाड़ी ग्राम पाड़ीव में नहीं आने से प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये है। अप्रार्थीगण की इसमें कोई बदनियति नही रही है। न्यायालय द्वारा उपभोक्ताओ को कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेन्डर उनके मालकि के होने पर उपभोक्तागण को खाना बनाने हेतु तकलिफ होने से गैस सिलेण्डर स्थाई रूप से लौटाने के आदेश प्रदान करावे ।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये 22 सिलेण्ड़र में से 20 सिलेण्ड़र के 17 मालिकों ने शपथ–पत्र पेश कर कहा है कि उन्होंने खाली सिलेण्ड़र अप्रार्थी के यहां रख कर बदले में भरे हुए सिलेण्ड़र गैस कम्पनी से प्राप्त करने हेतु रखे थे। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि शपथ–पत्रों के माध्यम से 20 खाली गैस सिलेण्ड़रों के मालिकों ने कहा है कि वे लोग दिन में काम–धन्धों एवं रोजगार के कारण सामान्यतयाः बाहर रहने के कारण सुविधा के लिए एक स्थान पर खाली सिलेण्ड़र, गैस कम्पनी से भरे हुए सिलेण्ड़र प्राप्त करने हेतु अपनी इच्छा से रखे थे। इन सब सिलेण्ड़रों की डायरियां भी है। प्रार्थी ने कहीं भी इस बाबत् उल्लेख नहीं किया है कि 22 में से 20 सिलेण्ड़र इन मालिकों के नहीं है। साथ ही गाँव में कुछ समय पूर्व तक इस प्रकार के प्रचलन का भी खण्ड़न नहीं किया है। अप्रार्थी के पास दो सिलेण्ड़रों का कोई मालिकाना सबूत नहीं है। दो व्यावसायिक सिलेण्ड़र जिनका वाणिज्यिक गैस कनेक्शन नम्बर 900352 है, के माध्यम से चाय एवं नमकीन बनाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एण्ड़ डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 के तहत लगाया गया है लेकिन मौके पर गैस एक सिलेण्ड़र से दूसरे सिलेण्ड़र में स्थानान्तरण करने का कोई दृश्य या सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है। साथ ही मौके पर सारे सिलेण्ड़र खाली मिले है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2 से 18 के विरूद्ध सद्भावनापूर्ण रूख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये 18 घरेलू गैस सिलेण्ड़र एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्ड़र मय 2 भट्टी एवं रेगूलेटर को उनके मालिकी का होने से अप्रार्थीगण को स्थाई रूप से उन्हें लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उपभोक्ताओ द्वारा इनका उपयोग केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3/2 का उल्लघंन किया जाना नही पाया जाता है । अप्रार्थी संख्या 1 दो अप्रमाणित गैस सिलेण्ड़रों 5 किग्रा. एवं 14 किग्रा. गैस सिलेण्ड़रों को अपने मालिकी का होना सिद्ध नहीं कर पाया है। जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 2 अप्रमाणित गैस सिलेण्ड़र 5 किग्रा. एवं 14 किग्रा. को समयपरण (confiscate) किया जाता है। उक्त 2 गैस सिलेण्ड़रों को नियमानुसार निस्तारण/निलामी कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराकर जिला रसद अधिकारी सिरोही चालान एवं उपभोक्ताओं को दिए गए गैस सिलेण्ड़रों/भट्टी/रेगुलेटर की रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर गैस कम्पनी से उपभोक्ताओं की डायरियों में अंकन की फोटोकॉपी प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:42:04 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner